सं0 12016/2/99-स्था0(छुट्टी)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 1999

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारियों को संस्वीकृत किए जाने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण की संशोधित सीमा ।

अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सीमा संशोधित करके 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारियों के संबंध में भी अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सीमा बढ़ाकर संशोधित किए जाने पर विचार किया गया है और अब यह तय किया गया है कि इस विभाग के दिनांक जुलाई 05, 1990 के का0ज्ञा0 सं0 12016/1/90-स्था0(छुट्टी) द्वारा यथा संशोधित दिनांक 12.04.1985 के का0ज्ञा0सं0 12016/3/84-स्था0 (छुट्टी) के पैरा 2 में निहित आदेशों में आंशिक संशोधन किए जाने के फलस्वरूप, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी, निम्नलिखित अधिकतम सीमाओं के निर्वाह की शर्त पर, अवकाश के नकदीकरण के हकदार होंगे :-

संविदा के आधार पर नियुक्ति की अवधि	संविदा की समाप्ति पर, अधिकतम अर्जित अवकाश जिसका नकदीकरण करवाने दिया जाएगा ।
2 वर्ष तक	कोई नकदीकरण नहीं ।
2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	50 दिन
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	100 दिन

.....2/-

10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक	150 दिन
15 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक	200 दिन
20 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक	250 दिन
25 वर्ष से अधिक	300 दिन

2. अर्जित अवकाश के नकदीकरण की बढ़ायी गई उपर्युक्त संशोधित सीमाएं इस शर्त के अधीन लागू होंगी कि सेविदा की समाप्ति पर देय अर्जित अवकाश के दिनों की कुल संख्या जिसका नकदीकरण करवाने दिया जाना हो, सरकार के अंतर्गत रहीं पिछली नियुक्तियों के संबंध में देय अर्जित अवकाश अथवा पूर्ण वेतन-अवकाश के दिनों की संख्या सहित 300 दिन से अधिक नहीं हो ।

3. ये आदेश जुलाई 01, 1997 से प्रवृत्त होंगे और इस तारीख को अथवा इसके बाद सेविदा के समाप्त होने वाले मामलों में लागू होंगे । तद्नुसार, 240 दिन से अधिक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण, 01.07.97 के बाद अर्जित किए गए ऐसे अवकाश के दिनों की संख्या तक ही सीमित रखा जाए ।

4. अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में निर्धारित शर्तों के अधीन रहेगी ।

5. जहां तक इस आदेश के भारतीय लेखा और लेखा-परीक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में लागू होने का संबंध है, यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

जे. विल्सन

(जे० विल्सन)
भारत सरकार के उप सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)